अतारा - 1189 [28/2/2023]

प्रकरण सं. [आ. 119] -

परि० 1

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 97, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/स्था–2/2022/ 6141 भोपाल दिनांक– 28.10.2022

आदेश

सहायक परियोजना समन्वयक (आईईडी) की वेतन व्यवस्था के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP No. 18727/2022 में पारित निर्णय दिनांक–24 अगस्त 2022 का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है–"Considering the aforesaid, this petition is disposed of with a direction to respondent No. 4/Director, Rajya Shiksha Kendra, Pushtak Bhawan, Area Hills, Bhopal to consider and decide the pending representation of the petitioners within a period of 90 days from the date of receipt of certified copy of the order passed today, in the light of order passed by the Finance Department, and if the petioners are found similarly situated, the same benefits may be extended to them, and in case the authority consider it otherwise, a speaking order may be passed".

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण किया गया। यह सही है कि–

1. राज्य कार्यकारणी समिति की 44वीं बैठक में हुये निर्णय के अनुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में वार्षिक मानदेय का पुर्ननिर्धारण किया जाना है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक–5जून18 के पैरा 1.14.2 के अनुसार संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष जनवरी माह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में सहायक परियोजना समन्वयक (आईईडी) के प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है:–

सहायक परियोजना समन्वयक (आईईडी) की नियुक्ति वर्ष 2012 में निश्चित मानदेय राशि रूपये 20000/– प्रतिमाह पर संविदा आधार पर की गई थी।

इनकी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर कतिपय कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिवाद दायर किया गया और माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने के कारण उपरोक्त दोनों प्रावधानों के अनुसार इनके मानदेय का संशोधन नहीं किया गया।

मिशन में प्रचलित नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों की सेवायें संतोषप्रद पाई जाती हैं, उन्हें समकक्ष नियमित पदो के समकक्ष वेतनमान के न्यूनतम पर मानदेय

20/10/22

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रदान करने के आदेश है। परंतु यह कार्यवाही राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के अनुमोदन अनुसार की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत समस्त संविदा पर कार्यरत सहायक परियोजना समन्वयक (आईईडी) का प्रस्ताव उनके समकक्ष पद के शासकीय सेवा में नियमित लोकसेवकों के समकक्ष नियमित वेतनमान के न्यूनतम पर करते हुए मानदेय वृद्धि हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजते हुए वित्त विभाग के निर्णयानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये। वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव राज्यकर्मचारी आयोग को प्रेषित करने के निर्देश के प्रकाश में प्रकरण तद्नुसार प्रेषित किया गया है और वहाँ से निर्णय प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

अतः माननीय उच्च न्यायालय में पारित निर्णय WP No. 18727/2022 के अनुसार अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रतिवदेन निराकृत किया जाता है।

(धनराजू एस) 28/10/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

कमांक/राशिके/स्था–2/2022/ 6142 भोपाल दिनांक– 28.10.2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्यसचिव, वित्त,म.प्र.शासन मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
3. महाअधिवक्ता, मध्यप्रदेश माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार उपाध्याय की ओर सूचनार्थ।

संभागीय अध्यक्ष जबलपुर/DPC भोपाल।

संचालक 28/10/2022
राज्य शिक्षा केन्द्र

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग